रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जुलाई, 1998

आषाढ़ 19, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1306/सत्रह-वि-1-1(क) 13—1998

लखनऊ, 10 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 9 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 5 मई, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 15 में,—

(क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "कम से कम दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "कम से कम दो तिहाई" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4—मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे किसी मामले में, जहां मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) या धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दी गई हो और उसके अनुसरण में कोई बैठक ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी दिनांक को बुलाई गई हो, भी प्रभावी होंगे और सदैव से प्रभावी समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदे... अध्यादेश संख्या ... सन् 19..

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1306 (2)/XVII-V-1—1(KA)13-1998

Dated Lucknow, July 10, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chetra Panchayat tatha Zila Panchayat (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 9, 1998.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1998

(U. P. Act No. 20 of 1998)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

It is hereby enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 5, 1998.

Amendment of section 15 of U. P. Act no. 33 of 1961

2. In section 15 of Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila-Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act,

(*a*) in sub-section (11) *for* the words "more than half" the words "not less than two-thirds" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (12) *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (13) *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*.

Amendment of section 28

3. In section 28 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (11) *for* the words "more than half" the words "not less than two-thirds" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (12) *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (13) *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*.

Transitory provisions

4. Notwithstanding anything contained in the principal Act the provisions of this Act shall also have effect and shall be deemed always to have effect in a case, where the notice referred to in sub-section (2) of section 15 or sub-section (2) of section 28 of the principal Act has been delivered before the commencement of this Act and a meeting has been convened in pursuance thereof on a date after such commencement as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 64 सा० विधा०—(731)—1998—850 (मैक०)।